

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 64

विधि और न्याय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	787.44	395.89	1183.33	1103.00	702.45	1805.45	982.93	988.20	1971.13	1103.00	889.88	1992.88	
पूँजी	...	0.01	0.01	...	10.02	10.02	...	2.02	2.02	...	54.37	54.37	
जोड़	787.44	395.90	1183.34	1103.00	712.47	1815.47	982.93	990.22	1973.15	1103.00	944.25	2047.25	
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं													
1.01 विधि कार्य विभाग	2052	...	32.61	32.61	...	37.57	37.57	...	36.50	36.50	...	38.64	38.64
1.02 विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफई)	2052	...	2.18	2.18	...	1.23	1.23	...	8.00	8.00	...	8.25	8.25
1.03 विधायी विभाग	2052	...	12.15	12.15	...	15.04	15.04	...	14.55	14.55	...	16.12	16.12
1.04 न्याय विभाग	2052	...	3.13	3.13	...	5.09	5.09	...	4.71	4.71	...	5.03	5.03
1.05 अन्य	2052	...	24.46	24.46	...	35.78	35.78	...	21.06	21.06	...	26.15	26.15
जोड़- सचिवालय - सामान्य सेवाएं	74.53	74.53	...	94.71	94.71	...	84.82	84.82	...	94.19	94.19
2. राज्य चुनावों के अंग													
2.01 चुनाव	2015	...	67.38	67.38	...	230.20	230.20	...	220.56	220.56	...	370.38	370.38
2.02 सामान्य चुनावी खर्च	2015	...	97.24	97.24	...	132.25	132.25	...	457.17	457.17	...	118.20	118.20
2.03 मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना	2015	...	29.19	29.19	...	38.05	38.05	...	28.73	28.73	...	38.05	38.05
जोड़- राज्य चुनावों के अंग	193.81	193.81	...	400.50	400.50	...	706.46	706.46	...	526.63	526.63
3. राजकोपीय सेवाएं													
3.01 आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण	2020	...	49.26	49.26	...	50.35	50.35	...	51.95	51.95	...	55.60	55.60
3.02 राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण	2020	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.04	0.04
जोड़- राजकोपीय सेवाएं	49.26	49.26	...	50.40	50.40	...	52.00	52.00	...	55.64	55.64
4. न्याय प्रशासन													
4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	...	6.33	6.33	...	10.74	10.74	...	9.60	9.60	...	10.74	10.74
4.02 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	2014	72.97	...	72.97	108.00	...	108.00	77.58	...	77.58	58.00	...	58.00
4.03 विशेष न्यायालय	3601	...	0.75	0.75	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
4.04 फास्ट ट्रेक न्यायालय	3601
4.05 न्यायपालिका के लिए अवसंरचना	2014	20.00	...	20.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
संबंधी सुविधा हेतु विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान													
4.06 अन्य व्यय	2014	...	60.75	60.75	...	130.03	130.03	...	106.59	106.59	...	173.09	173.09
4.07 भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढीकरण (एसएजेआई)													
4.07.01 सामान्य घटक	2014	0.04	...	0.04	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
4.07.02 ईपीए घटक	2014	2.41	...	2.41	4.00	...	4.00	3.35	...	3.35	4.00	...	4.00
जोड़- भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढीकरण (एसएजेआई)		2.45	...	2.45	5.00	...	5.00	4.35	...	4.35	5.00	...	5.00
4.08 राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन	2014	44.00	...	44.00	1.00	...	1.00	87.30	...	87.30
4.09 न्यायिक सुधारों तथा निर्धारण प्रास्थिति का अध्ययन	2014
4.10 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र	2014	0.01	0.01	...	5.51	5.51	...	5.50	5.50
4.11 ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता	2014	4.10	...	4.10	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00
जोड़- न्याय प्रशासन		79.52	67.83	147.35	197.00	145.78	342.78	87.93	126.70	214.63	150.30	194.33	344.63
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
5.01 न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	3601	688.21	...	688.21	756.00	...	756.00	800.00	...	800.00
5.02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता-अनुदान	3602	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
5.03 अन्य कार्यक्रम	2070	...	10.46	10.46	...	11.06	11.06	...	18.22	18.22	...	19.09	19.09
5.04 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070	...	0.01	0.01	...	10.02	10.02	...	2.02	2.02	...	54.37	54.37
जोड़- अन्य प्रशासनिक सेवाएं		708.21	10.47	718.68	796.00	21.08	817.08	800.00	20.24	820.24	...	73.46	73.46
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	110.00	...	110.00	95.00	...	95.00	16.70	...	16.70
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना													
7. न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु	2552	93.60	...	93.60
	3601	782.40	...	782.40
	3602	60.00	...	60.00
जोड़		936.00	...	936.00
8. वास्तविक वसूलियां	2014	-0.29	...	-0.29

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
कुल जोड़	787.44	395.90	1183.34	1103.00	712.47	1815.47	982.93	990.22	1973.15	1103.00	944.25	2047.25	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. न्याय प्रशासन	32014	787.44	...	787.44	993.00	...	993.00	887.93	...	887.93	150.30	...	150.30
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	110.00	...	110.00	95.00	...	95.00	110.30	...	110.30
जोड़ - केन्द्रीय योजना		787.44	...	787.44	1103.00	...	1103.00	982.93	...	982.93	260.60	...	260.60
राज्य योजना:													
1. राज्यों में न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए	43601	782.40	...	782.40
जोड़ - राज्य योजना		782.40	...	782.40
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. संघ राज्यों क्षेत्रों में न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए	43602	60.00	...	60.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		60.00	...	60.00
जोड़		787.44	...	787.44	1103.00	...	1103.00	982.93	...	982.93	1103.00	...	1103.00

1.01-04. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** इसमें विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के सचिवालय व्यय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय न्यायाधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान किए गए हैं।

1.05. **अन्य:** यह प्रावधान, राजभाषा खण्ड, जो केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनके मुद्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संगठित मुकदमा अभिकरण के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है जो केन्द्रीय अभिकरण की योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

2.01. **चुनाव:** यह प्रावधान लोक सभा के आम चुनाव की बकाया देनदारी को वहन करने के लिए है।

2.02. **साधारण चुनाव व्यय:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को साधारण चुनाव व्यय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसमें मतदाता सूचियों आदि तैयारी और मुद्रण की लागत भी शामिल है।

2.03. **मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना:** यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर हुए व्यय के सम्बन्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।

3.01. **आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण:** आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों, आयकर आयुक्तों, आयकर आयुक्तों (अपील) और आयकर उपायुक्तों (अपील) के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

3.02. **राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण:** राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना, प्रत्यक्ष करों की वसूली, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन तथा सेवाओं पर कर वसूली एवं माल पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों और ऐसे कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल की कीमत संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु की गई है।

4.01. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी:** राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 7 अगस्त, 1993 से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। यह प्रावधान अकादमी के आवर्ती व्यय के लिए है।

4.02. **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण:** यह प्रावधान जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय हेतु किया गया है।

4.03. **परिवार - न्यायालयों:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिवार - न्यायालयों पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।

4.05. **विधान मण्डल रहित संघ शासित क्षेत्रों की सहायता के लिए न्यायपालिका हेतु:** यह प्रावधान विधान मण्डल रहित संघ शासित क्षेत्रों की सहायता के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए है।

4.06. **सामान्य व्यय:** यह प्रावधान विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों तथा परामर्शियों के लिए तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा गरीबों के लिए विधि सहायता उपलब्ध करवाने के लिए है।

4.07.01-02. **न्याय के लिए पहुंच सुगम करना -भारत:** यह प्रावधान मुख्य रूप से न्याय के लिए पहुंच सुगम करने-भारत (साजी) के बारे में न्याय विभाग द्वारा यू एन डी पी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

4.08. **न्याय प्रदायन और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना:** न्याय प्रदायन और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन ने जून, 2011 में इसे परिचालित करने का निर्णय लिया ताकि देश में न्याय प्रदायन की गति को तेज करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की सुसमन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके और न्यायालयों में मामलों के निपटान में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

4.09. **न्यायिक सुधारों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन:** यह उपबंध, न्यायिक सुधारों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन को अपनाने हेतु है।

4.10. **वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र:** यह प्रावधान विवादों के शीघ्र समाधान और न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या में कमी करने के प्रयोजन से वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों को प्रोत्साहित, संगठित एवं प्रचारित करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आई सी ए डी आर) के लिए नई दिल्ली में एक कन्वेंशन सेन्टर, बिजनेस सेन्टर और फ्यूचर ब्लॉक के निर्माण हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए है।

4.11. **ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा संचालन:** यह प्रावधान ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

5.01-02. **न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं:** यह प्रावधान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए और विधान मण्डल वाले संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान/सहायता प्रदान करने के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए है। इसमें विधान मण्डल रहित संघ

शासित क्षेत्रों की सहायता के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

5.03. **अन्य कार्यक्रम:** यह प्रावधान विधि आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने के लिए किया गया है।

5.04. **भूमि अधिग्रहण तथा भवनों के निर्माण के लिए:** यह प्रावधान विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, आयकर अपील न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों तथा राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण तथा भवनों के निर्माण के लिए है।

6. **पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं:** यह प्रावधान उत्तर - पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

7. **न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास:** यह प्रावधान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए विधान मंडल वाले और विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान/सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।